

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-7) विभाग

कमांक:प.1(4)गृह-7 / 2019

जयपुर, दिनांक: 13.02.2020

:: आज्ञा ::

राजस्थान गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा सेवा नियम-1976 के नियम 23(9) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अभिशंषानुसार वर्ष 2019-20 की उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध निम्नलिखित कम्पनी कमाण्डरों को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उप समादेष्टा के पद पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	रिक्ति तिथि
1.	श्री किशन सिंह	सामान्य	01.04.2019
2.	श्री रामजी लाल	सामान्य	01.04.2019
3.	श्री राम सिंह	सामान्य	01.04.2019
4.	श्री रामकरण	सामान्य	01.04.2019
5.	श्री रवि सिंह	सामान्य	01.04.2019
6.	श्री हरि सिंह	सामान्य	01.04.2019

पदोन्नत अधिकारी अग्रिम आदेश तक अपने वर्तमान पद पर ही कार्य करेंगे। इन्हें पदोन्नत पद पर वास्तविक लाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होगा।

आज्ञा से,

ह.

(आर.एस.मक्कड़)

शासन उप सचिव,

गृह (आपदा प्रबंधन)

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
4. शासन सचिव, गृह विभाग।
5. महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र कमांक एफ 5(338) डीपीसी/2019-20/410 दिनांक 09.01.2020 के क्रम में।
7. निजी सहायक, शासन उप सचिव, गृह (आपदा प्रबंधन) विभाग।
8. सम्बन्धित अधिकारीगण मार्फत महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

hfe

शासन उप सचिव,

गृह (आपदा प्रबंधन)

राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप-7) विभाग

कमांक:प.1(4)गृह-7 / 2019

जयपुर, दिनांक: 13.02.2020

:: आज्ञा ::

गृह रक्षा विभाग के निम्नलिखित कम्पनी कमाण्डरों को उप समादेष्टा के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नव पदस्थापन स्थान
1.	श्री किशन सिंह	सीमा गृह रक्षा दल, बाड़मेर	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, सिरोही
2.	श्री रामजी लाल	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, भरतपुर	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, भरतपुर
3.	श्री राम सिंह	केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय जयपुर	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, दौसा
4.	श्री रामकरण	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, बून्दी
5.	श्री रवि सिंह	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, नागौर	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, चित्तौड़गढ़
6.	श्री हरि सिंह	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर

आज्ञा से,

ह.०

(आर.एस.मक्कड़)

शासन उप सचिव,

गृह (आपदा प्रबंधन)

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
4. शासन सचिव, गृह विभाग।
5. महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, शासन उप सचिव, गृह (आपदा प्रबंधन) विभाग।
7. सम्बन्धित अधिकारीगण मार्फत महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

न.ते

शासन उप सचिव,

गृह (आपदा प्रबंधन)